

भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय		Telephone: 0771 - 2436637, Telefax: 0771- 2436637
क्षेत्रीय कार्यालय एन.एच. कैम्पस, पेंशन बाड़ा रायपुर, छत्तीसगढ़ . 492 001		Government of India Ministry of Road Transport & Highways
		Office of the Regional Officer, NH Campus, Pension Bada, Raipur, Chhattisgarh - 492 001
RO/CG/Water Pipeline/NH-06/Kumhari/2021/77/986		Dated 31.10.2022

Invitation of public comments

Sub: Proposal for NOC for the pipeline carrying drinking water under Mission Amrut Phase-II of NH-06 from Km.281.780 to 283.090 (LHS) (Tatibandh Chowk to Chandanidih/ Nadanvan Turning) Kumhari, Raipur(C.G).- Reg.

The Executive Engineer, PWD, NH Division, Raipur vide letter No. 3185/शिल्प/2022/ Dated 12.09.2022 has forwarded therewith a proposal in this office for permission to lay pipeline carrying drinking water at the locations as mentioned in the above subject.

2. As per Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration will make available the proposal seeking permission for utility services for public comments for 30 days on ground of public interest.

3. In view of the above, the comments of public are invited on captioned proposal and the same should reach to below mentioned address/Email ID till 30 days from the date of publication on website beyond which no comments will be considered.

The Regional Officer-cum-Highway Administration,
O/o Regional Office, M/oRT&H
NH Campus, Pension Bada,
Raipur, Chhattisgarh - 492001
Email Id: romorthraipur@gmail.com

4. This is issues with the approval of Regional Officer-cum-Highway Administration, MoRT&H, Raipur.



(Pradipta Kumar Barik)
Senior Technical Assistant
For Regional Officer

Copy to:-

- (i) Senior Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001 for uploading on Ministry's website.
- (ii) The Chief Engineer (NH), PWD, Pension Bada, Raipur.
- (iii) The Executive Engineer (NH), NH Division, PWD, Raipur.
- (iv) The Executive Engineer (Amrut Mission), O/o the Municipal Corporation Raipur, Head Office, Near Gandhi Chowk, Raipur (C.G).

कार्यालय कार्यालय अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर (छ0ग0)

ज्ञाप.क्र. 3185 / शिल्प / 2022 /
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12/09/2022

मुख्य अभियंता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
एन.एच.केम्पस पेंशन बाड़ा रायपुर (छ0ग0)

विषय :- **Proposal for NOC for the pipe line carrying drinking water under Mission Amrut Phase-II of NH-06 from Km.281.00 to 283.090 (LHS) (Tatibandh Chowk to Chandanidih/Nandanvan Turning) Kumhari, Raipur (C.G.), Site Inspection Report.**

संदर्भ :- क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एन.एच.केम्पस पेंशन बाड़ा रायपुर का पत्र No.RO/CG/Water Pipeline/NH-06/Kumhari/2021/77/422, रायपुर दिनांक 07/07/2022

—:000:—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। नगर पालिका निगम रायपुर (छ.ग.) के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी.281.00 से कि.मी.283.090 (2.090 कि.मी.) (बांयी ओर) क्रमशः टाटीबंध चौक से चंदनीडीह के बांयी ओर अमृत मिशाल के अन्तर्गत पेयजल सुनिश्चितीकरण पाईप लाईन के विस्तार के लिए मार्ग के सर्विस लेन एवं नाली के बीच में खुदाई कर कार्य किए जाने की अनुमति मांगी गई है। चूंकि अमृत मिशाल योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत चंदनीडीह ग्राम व आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति किया जाना है। यहाँ सर्विस मार्ग एवं नाली के मध्य शोल्डर पार्ट नहीं है एवं बहुत अधिक घनी आबादी एवं यातायात का मार्ग है एवं नाली के किनारे तक बी.टी. सतह है।

टाटीबंध चौक से दुर्ग की ओर लगभग 780 मीटर मार्ग दिनांक 13.12.2019 को एन.एच.ए.आई. को टाटीबंध फ्लाईओवर निर्माण हेतु हस्तांतरित हो चुका है। अतः एन.ओ.सी. संबंधित विभाग से प्राप्त करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कि.मी. 281.780 से 283.090 लम्बाई 1.31 कि.मी. तक ड्रेन के किनारे पाईप लाईन को अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधिन दिया जाना उचित होगा।

- 1/ पाईप लाईन खुदाई का कार्य मजदूरों के द्वारा कराया जावे, जे.सी.बी. से नहीं। जितना आवश्यक है उतनी ही खुदाई कराई जावे। मशीनरी से खुदाई करने पर अनावश्यक मार्ग की सतह खराब होगी।
- 2/ खुदाई के तुरंत बाद पाईप लाईन का कार्य संपादित कर मानक अनुसार रेस्टोरेशन का कार्य कराया जावे।
- 3/ भविष्य में यदि पाईप लाईन वाले हिस्से में यदि मार्ग की सतह खराब होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका निगम रायपुर की होगी जिसके लिए अतिरिक्त राशि रुपये 2.00 लाख की बी.जी. विभाग में जाम कराया जाना उचित होगा, ताकि संबंधित विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराये जाने की स्थिति में मरम्मत कार्य कराया जा सकें। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण आपकी ओर अनुमति हेतु सादर सम्प्रेषित है।

सहपत्र :- 01 फाईल 03 प्रतियों में।

कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि.रा.संभाग
रायपुर (छ0ग0)
रायपुर, दिनांक 12/09/2022

पृ.क्र. 3186 / शिल्प / 2022 /
प्रतिलिपि :-

कार्यपालन अभियंता, अमृत मिशन, कार्यालय, मुख्य नगर पालिका निगम रायपुर गांधी चौक के पास रायपुर की ओर सूचना प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।



कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि.रा.संभाग
रायपुर (छ0ग0)